विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत

विवाह हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

आवेदन जमा करने का समय प्रातः 10.30 से दोपहर 1.30

- विवाह हेतु आवेदन पत्र धारा 5 का (6 प्रतियों में) जिस पर आवेदक का पृथक पृथक फोटो पासपोर्ट साईज तथा 10/- के आवेदन शुल्क की टिकिट को चस्पा करें।
- चालान रूपये 15Rs. का जो खजाने में “0075 विविध आय, विवाह का पंजीयन ” (स्टेट बैंक आफ इंडिया में 10.30 से दो. 1.00 बजे तक जमा होते है ।
- आयु संबंधी प्रमाण जैसे हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र में से कोई एक
- निवास संबंधी प्रमाण पत्र, दोनों आवेदकों का (आवेदन प्रस्तुति के एक माह पूर्व से दोनों में से एक का इंदौर जिले में निवास होना आवश्यक है ।)
- यदि पूर्व में विवाहित है तथा तलाक हो चुका है तो डिक्री की प्रति,विदूर/विधवा होने पर पूर्व साथी का मृत्यु प्रमाण संलग्न करें।
- 2 संयुक्त फोटो पासपोर्ट साईज के विवाह पंजीयन के समय
- शपथ पत्र, आवेदकगणों का पृथक पृथक
- रूपये 100/-स्टाम्प ड्यूटी (रू 100 का कोरा स्टाम्प पेपर क्रास किया हुआ, दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर सहित)
- आवेदन प्रस्तुति के बाद एक माह का प्रकाशन होता है तत्पश्चात पुलिस/एसडीओ से प्रतिवेदन तथा अन्य जिले के स्थाई निवासी या जन्म न होने पर उस जिले के विवाह अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी के अनापत्ति

का प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पंजीयन किया जा सकेगा । रिपोर्ट अप्राप्त होने की स्थिति में पंजीयन नहीं होगा ।

- विवाह, विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह बाद तथा आवेदन प्रस्तुति के अधिकतम 3 माह में ही होगा । इसके अंदर उपस्थित न होने या रिपोर्ट न आने पर आवेदन स्वयं निरस्त हो जावेगा ।
- आवेदन प्रस्तुति हेतु आवेदकगण तथा पंजीयन हेतु आवेदकगणों के साथ तीन साक्षी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है ।